

**उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा 6 के अन्तर्गत आवासीय अथवा व्यवसायिक फ्लैट्स / भवन /  
स्थल के निर्माण / बिक्री पर देय कर के विकल्प में समाधान प्रार्थनापत्र ।**

सेवा में,

कर निर्धारिक प्राधिकारी  
खण्ड / मण्डल .....  
जनपद .....  
वर्ष .....

महोदय,

मैं, श्री / श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....

सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय ..... पर स्थित है जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 17 अथवा धारा 18 के अन्तर्गत वाणिज्य कर कार्यालय..... द्वारा टिन..... दिनांक..... से प्रभावी किया गया है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्राधिकारी ..... मण्डल ..... जनपद के कार्यालय में दिनांक..... को पंजीयन प्रार्थनापत्र फार्म VII में प्रस्तुत कर दिया है, का स्वामी / साझेदार / निदेशक / (प्रास्थिति) ..... हूँ। मैं यह प्रार्थनापत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ (जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 32 के उपनियम (6) के अन्तर्गत हस्ताक्षर करने के लिये अधिकृत किया गया है) मैंने देय कर के विकल्प में धारा 6(1) में जारी शासनादेश दिनांक..... को मैंने तथा फर्म के हितबद्ध सभी व्यक्तियों ने सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है अथवा सुन लिया है और समझ लिया है। उक्त शासनादेश में उल्लिखित समस्त शर्तें स्वीकार करता / करती हूँ।

2- मैं वित्तीय वर्ष 20...-20... में उक्त फर्म द्वारा देय कर के स्थान पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6(1) तथा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गयी उक्त शासनादेश के प्राविधानों के अधीन संलग्न शापथ पत्र / अनुबन्ध पत्र के अनुसार एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने का निवेदन करता / करती हूँ।

**घोषणा**

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य है। उसमें कोई तथ्य गलत या अपूर्ण नहीं है और न ही संगत तथ्य छिपाया गया है।

दिनांक-----

संलग्नक: शापथ पत्र / अनुबन्ध पत्र ।

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम.....  
प्रास्थिति.....

**प्रमाणीकरण**

मैं इस प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म ..... के स्वामी / साझेदार / निदेशक (प्रास्थिति) ..... है तथा इस प्रार्थनापत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

दिनांक :

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर.....  
पूरा नाम .....  
पूरा पता .....

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम - 2008 की धारा 6 के अन्तर्गत आवासीय अथवा व्यवसायिक फ्लैट्स / भवन / स्थल के निर्माण / बिक्री पर देय कर के विकल्प में समाधार प्रार्थनापत्र में उल्लिखित शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र ।

मैं, श्री / श्रीमती ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... आयु ..... वर्ष स्थायी निवासी (पूरा पता) ..... शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि :-

1- मैं फर्म सर्वश्री ..... जिसका मुख्यालय (पूरा पता) ..... पर स्थित है का स्वामी / साझेदार / निदेश / (प्रास्थिति)..... हूँ तथा यह शपथ पत्र / अनुबन्ध पत्र उपरोक्त फर्म की ओर से वर्ष 20-.....-20..... के लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ ।

2- मेरी फर्म के मुख्यालय व शाखाओं का विवरण निम्नवत् है :-

मुख्यालय का पता

शाखाओं का पता

(1)

(2)

(3)

3- आवासीय अथवा व्यवसायिक फ्लैट्स / भवन / स्थल के निर्माण / बिक्री से संबंधित विवरण एवं जमा समाधान राशियों का विवरण निम्नवत् है :-

I-

II-

III-

4- उक्त घोषित आवासीय अथवा व्यवसायिक फ्लैट्स / भवन / स्थल के निर्माण / बिक्री के अतिरिक्त अन्य कहीं पर कोई भी आवासीय / व्यवसायिक फ्लैट्स / भवन / स्थल के निर्माण / बिक्री नहीं की जा रही है । यदि उपरोक्त घोषित विवरण के अतिरिक्त अन्य कोई तथ्य / सूचना फर्म के विरुद्ध प्रकाश में आती है तो कर निर्धारण अधिकारी नियमानुसार अर्थदण्ड / अन्य विधिक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होंगे जिसमें मुझे मुझे कोई आपत्ति न होगी ।

5- आवासीय अथवा व्यवसायिक फ्लैट्स / भवन / स्थल के निर्माण / बिक्री पर देय कर के विकल्प में समाधान योजना से संबंधित शासन द्वारा जारी निर्देशों तथा शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और वह हमें व हमारी फर्म के सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मान्य है । यदि एकमुश्त समाधान राशि का मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध में दी गयी शर्तों का अनुपालन करने, शासन अथवा कमिशनर, वाणिज्य कर उप्रो ३० द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों अथवा दिये गये निर्देशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिये बाध्य होगी । ऐसे निर्देशों, लगाये गये प्रतिबन्धों तथा निर्धारित शर्तों के अनुपालन न किये जाने की दशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी मेरी फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होंगे ।

संलग्नक : समाधान राशि जमा करने का साक्ष्य ।

शपथी .....

पूरा नाम.....

प्रास्थिति.....